

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 2022/77

सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

देवीलाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:-17.02.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी देवीलाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार तहसील नोहर द्वारा ग्राम खरसण्डी के ख.न. 133 की गै.मु. चारागाह भूमि में .0139 है0 नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी स्वयं को तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।


पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी हाजिर नहीं आया। अप्रार्थी को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं। अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है एवं अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थी को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर लगभग तावान राशि 50/-रु. से दण्डित किया जाता है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को अलग से आदेश जारी हो की संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग एवं ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पाबंद करें (राजस्थान पंचायती राज नियम 165(5) के अनुसार चारागाह भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के सभी ऐसे मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को प्रकरण दर्ज करने और अतिक्रमियों को बेदखली की कार्यवाही ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ की जायेगी)

भू अभिलेख निरीक्षक जबरासर को आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं रिपोर्ट पेश करें।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामकुमार)   
तहसीलदार (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ